



2026: AHC : 35369

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - **4509** वर्ष **2026**

त्रिवेन्द्र कुमार याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अजय कुमार सिंह यादव, दिव्यांश

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अरुण कुमार पांडेय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

सिविल विविध सुधार आवेदन संख्या 02 वर्ष 2026:-

1. वर्तमान सुधार आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2026 को पारित आदेश में कुछ सुधार करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
2. यह तर्क दिया गया है कि अनजाने में हुई गलती के कारण उपरोक्त आदेश का पैराग्राफ-1 गलत टाइप हो गया था।
3. दिखाया गया कारण पर्याप्त है। सुधार आवेदन स्वीकार किया जाता है।
4. दिनांक 11.02.2026 के आदेश का संशोधित पैराग्राफ, अर्थात् पैराग्राफ-1, इस प्रकार पढ़ा जाए:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही, जो वाद संख्या 4862 वर्ष 2024 (ग्राम समाज बनाम त्रिवेन्द्र कुमार) है, को दिनांक 19.02.2024 के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आदेश के विरुद्ध, गाँव सभा के पैनल वकील द्वारा 04.10.2024 को दिए गए आवेदन पर, कार्यवाही फिर से शुरू कर दी गई जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा रिट-सी संख्या 16386 वर्ष 2025 (सोमपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 21.05.2025 को पारित आदेश पर भरोसा जताया है।"

(प्रकाश पाडिया, जे.)

17 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"